

मु.नं. 2024/25

स्थायी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
 (पोस्टाधीन अधिकारी लोक अदालत/कॉम्प कोर्ट) कैम्प दुधनी

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीमणा व भूअनि. श्रीमणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायाब तहसीलदार नाना की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नाड़िया तहसील बाली व जिला पाली की जमावन्ती सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 51 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद को आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाये है)
	नाड़िया	51	(1) करमराम s/o रणसाराम (2) कानाराम s/o रणसाराम (3) नगाराम s/o रणसाराम (4) नानाराम s/o रणसाराम	(1) करमराम s/o रणसाराम 1/5 (2) कानाराम s/o रणसाराम 1/5 (3) नगाराम s/o रणसाराम 1/5 (4) नानाराम s/o रणसाराम 1/5 (5) सोमाराम s/o रणसाराम 1/5 के कश्चुम भुक्ताम, पकाराम, भुगाराम, रमेश कुमार पुत्र सोमाराम, सुगने पुत्री सोमाराम, सोत्रिया, पुत्री सोमाराम

(Signature)
 पोस्टाधीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 बाली (जिला-पाली) राज
 पदेन सहायक कलक्टर



दिनांक :- 9-1-24

क्रमांक :- 2024/SU-57

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री कानाराम s/o रणसाराम वगैरा को सूचनाथ।
3. संबंधित मुकदमेलों।
4. पटवारी श्रीमणा

(Signature)
 पोस्टाधीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर
 बाली (जिला-पाली) राज